भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1493

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन

†1493. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री भीमराव बी० पाटील :
श्री आर० ध्रुवनारायण :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिसमें आपदा पीड़ितों के लिए राहत शिविरों में आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता जैसी अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (एनडीएमए) 2005 की धारा-12 के राज्यों द्वारा अनुपालन हेतु ठोस प्रयास की कमी के बारे में बताया गया है;
(ख) यदि हां, तो राज्यों के स्तर पर गैर-अनुपालन के पीछे क्या कारण हैं; और
(ग) केन्द्र सरकार द्वारा एडीएमए की धारा-12 के अंतर्गत राज्यों द्वारा दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग) : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम मानकों हेतु दिशानिर्देशों की सिफारिश करेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) आश्रय, खाद्य, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं और स्वच्छता के संबंध में राहत शिविरों में न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए;

(ii) विधवाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए;

(iii) मृत्यु हो जाने पर अनुग्रहपूर्वक सहायता और मकानों की क्षति के लिए तथा आजीविका के साधनों के पुनरूद्वार के लिए भी सहायता;

(iv) ऐसी अन्य जरूरी राहत।

एनडीएमए ने पहले ही आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य, जल, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाएं और आश्रय संबंधी राहत के न्यूनतम मानकों और विधवाओं तथा अनाथों के लिए किए जाने वाले विशेष प्रावधानों पर भी दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं और इन्हें एनडीएमए के दिनांक 25.2.2016 के पत्र द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पहले ही परिचालित कर दिया गया है। उक्त पत्र में, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 19 की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) राज्य में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहतों के मानक उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करेंगे, बशर्ते कि ऐसे मानक किसी भी मामले में इस संबंध में एनडीएमए द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों में न्यूनतम मानकों से कम नहीं होने चाहिए।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित वर्ष 2013 की रिट याचिका (दाण्डिक) सं. 823 के साथ वर्ष 2013 की रिट याचिका (दाण्डिक) सं. 444 में न्यायालय ने दिनांक 26.2.2016 को एक आदेश जारी किया है जिसमें राहत के न्यूनतम मानक बनाने के संबंध में भारत में प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिवों से दिनांक 25.02.2016 के उपर्युक्त पत्र का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।